[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 01/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि.....(अ).- वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद, जो उक्त तालिका के स्तम्भ (2) मे वर्णित है, के अंतर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य माल जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट हैं, जिन पर वित्त अधिनियम, 2001 की सातवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क लगता है, को उक्त अनुसूची के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के उतने भाग से छूट देता है जितना उक्त तालिका के स्तंभ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित रकम से अधिक है:

तालिका

क्र. सं.	**शीर्ष और उप-शीर्ष और टैरिफ मद**	**वस्तुओं का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2403 99 10	चबाने वाली तंबाकू	25%
2.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू	25%
3.	2403 99 90	सभी माल	25%

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 334/05/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार